अध्याय-III
वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण

अध्याय-III

विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा

वित्त विभाग

3 *वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण*

3.1 परिचय

वित्त विभाग, बिहार सरकार राज्य सरकार के वित्त प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस विभाग का प्रमुख कार्य और कार्यकलाप बजट तथा वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करना, व्यय की निगरानी, कोषागारों का प्रशासन और सरकारी विभागों की आंतरिक लेखा परीक्षा है। इसके अलावा, यह सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) और अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) के रखरखाव और विभागीय प्रेस के मुद्रण कार्यों से संबंधित कार्य भी करता है।

वित्त विभाग का अध्यक्षता एक अपर मुख्य सचिव करते हैं तथा क्रमशः संसाधनों के प्रबंधन और व्यय नियंत्रण के लिए दो सचिवों द्वारा सहायता की जाती है। विभागीय स्तर पर, कोषागार प्रशासन तथा जी.पी.एफ. के रख–रखाव का कार्य क्रमशः उपायुक्त, कोषागार और लेखा एवं उपायुक्त, जी.पी.एफ. की अध्यक्षता में किया जाता है।

प्रमंडल स्तर पर, लेखापरीक्षा निदेशक, वित्त विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन संचालित सहायक निदेशक, वित्त लेखापरीक्षा के कार्यालय हैं।

जिला स्तर पर, जिलाधिकारी के नियंत्रण में जिला लेखा अधिकारी (डी.ए.ओ.) पारदर्शी वित्तीय प्रशासन एवं गतिविधियों की निरंतर निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। संबंधित जिलाधिकारी जिला स्तरीय कार्यालयों के वित्तीय और लेखा निरीक्षण, प्रशिक्षण और अभिलेखों के रखरखाव के लिए डी.ए.ओ. की सेवाओं का उपयोग करता है।

3.1.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने उद्देश्य निर्धारित किया था कि क्याः

- जिला स्तर पर डी.ए.ओ. की कार्यप्रणाली ने निर्धारित वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया;
- सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि से संबंधित अभिलेखों का प्रावधानों के अनुसार रखरखाव किया गया था;
- प्रभावी निगरानी के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी।

3.1.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर आयोजित की गई हैः

- बिहार सरकार के कार्यपालिका नियमावली, 1979;
- बिहार वित्तीय नियमावली, 2005;
- बिहार कोषागार संहिता 2011;
- बिहार बजट मैन्युअल एवं
- वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र।

3.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

अनुपालन लेखापरीक्षा ने 2016–17 से 2020–21 तक की अवधि को कवर किया है और इसे दिसंबर 2020 से सितंबर 2021 के दौरान आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान, सरकार स्तर पर वित्त विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात वित्त लेखापरीक्षा और निदेशालय, निदेशक भविष्य निधि पटना के निदेशकों के अभिलेखों की राज्य स्तर पर जाँच की गई। आगे, चुनेगए सभी सात प्रमंडल / जिलों[18] के सहायक निदेशक (लेखापरीक्षा) वित्त, जिला भविष्य निधि अधिकारी (डी.पी.एफ.ओ.), जिला कोषागार पदाधिकारी (डी. टी.ओ.) के अभिलेखों और प्रत्येक जिला का एक प्रखंड विकास अधिकारी[19] (बी.डी.ओ.) एवं क्षेत्रीय स्तर पर अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय (गया और गुलजारबाग) के अभिलेख वित्तविभाग के अधिगत कार्यालयों के नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता और अन्य प्रशासनिक विभागों पर विभाग के नियंत्रण का निर्धारण करने के लिए संवीक्षा की गई।

3.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.1 जिला लेखा अधिकारियों की कार्यप्रणाली

बिहार वित्तीय नियमावली (बी.एफ.आर.) के नियम 10 के अनुसार, विभाग प्रमुख संबंधित वित्तीय नियमों और विनियमों के पालन द्वारा वित्तीय आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेवार है।

जिलों में पारदर्शी वित्तीय प्रशासन एवं इसकी सतत निगरानी बनाए रखने के लिए वित्त विभाग द्वारा डी.ए.ओ. के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया (दिसंबर 2017) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- खातों और अभिलेखों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि बिहार बजट हस्तक, बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियम और समय–समय पर जारी अन्य निर्देश जिला स्तर पर डी.डी.ओ. द्वारा लागू किए जाते हैं।
- बैंक खातों के संचालन एवं बैंकों में जमा राशि की निगरानी करना।
- वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक डी.डी.ओ. के अभिलेखों का निरीक्षण एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों के वित्तीय सलाहकार का कर्त्तव्य निष्पादित करना।
- जिलों के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों की लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुपालन में निर्देश प्रदान करना।
- जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- सरकारी कार्यालयों में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की जाँच करना।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि डी.ए.ओ. और सहयोगी सदस्य के लिए पृथक स्थापना के गैर–सृजन के कारण जिलों में कोई उपरोक्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा हरा है। सभी 38 जिलों में डी.ए.ओ. का पद स्वीकृत किया गया था। तथापि, नमूना–जाँचित सात जिलों में, केवल चार जिलों में नियमित डी.ए.ओ.[20] थे जबकि शेष

---

[18] *भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, सहरसा एवं सारण*

[19] *दानापुर (पटना), जगदीशपुर (भागलपुर), मुशहरी (मुजफ्फरपुर); कहरा (सहरसा), बहादुरपुर (दरभंगा), गया सदर (गया) एवं छपरा सदर (सारण)*

[20] *भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और सहरसा*

तीन पद बिहार लेखा सेवा के जिला स्तरीय अधिकारियों[21] के अतिरिक्त प्रभार के रूप में परिचालित थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि भागलपुर और सहरसा जिलों में, डी.ए.ओ. की नियमित पदस्थापना की गई थी, लेकिन इन अधिकारियों को क्रमशः डी.पी.एफ.ओ. और वरिष्ठ कोषागार अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। इन कार्यालयों के संचालन के लिए कोई अलग बजट प्रदान नहीं किया गया था और डी.ए.ओ. का कार्यालय जिला अधिकारी के नियंत्रणाधीन अनुभाग रूप में कार्यरत था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि नमूना–जाँचित सभी सात कार्यालयों (जुलाई 2021) में वित्तीय प्रावधानों का गैर–अनुपालन, बिहार बजट नियमावली का गैर–अनुपालन, निधियों की बड़ी/विलंब से समर्पण, बैंक खातों के अविवेकपूर्ण संचालन, निधियों का विचलन, निरंतर असमायोजित अग्रिम आदि प्रचलित थे।

3.2.2 बजटीय एवं व्यय नियंत्रण

बिहार बजट नियमावली 2016 के अनुसार, बजट पिछले वर्षों में किए गए वास्तविक व्यय पर आधारित होना चाहिए। पुनः, बिहार बजट नियमावली के अध्याय 4 के नियम 22 में प्रावधान है कि सभी नियंत्रक अधिकारी[22] प्राक्कलन तैयार कर अपनी टिप्पणियों के साथ वित्त विभाग को भेजें। आगे उक्त नियमावली के नियम 65 व्याख्या करता है कि नियंत्री अधिकारियों को संवितरण अधिकारी[23] से प्राप्त अनुमानों को यह देखने के लिए कि सही हैं एवं उनमें आवश्यक विवरण और स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (एस. एफ.ए.आर.) (2019–20 तक) वित्तीय मुद्दों के खराब प्रबंधन में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिसमें ए.सी./डी.सी. बिल, बजट आवंटन का गैर–उपयोग, लगातार बचत, अनावश्यक पूरक आवंटन, निधियों का पुनर्विनियोजन, निधियों का पर्याप्त प्रत्यर्पण, व्यय की जल्दबाजी के मामले, निधियों की रुकावट, पी.डी. खाते आदि शामिल हैं। आगे, विभाग के नमूना–जाँचित अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए बजट अनुमानों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि वे वास्तविक नहीं थे क्योंकि पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय पर अगले वर्ष के लिए बजटीय अनुमान तैयार करते समय विचार नहीं किया गया था। वित्त विभाग ने पिछले वर्षों के वास्तविक मूल्यांकन के बिना व्यय के कुछ शीर्षों के तहत डी.डी.ओ. को निधियाँ जारी किया और निधियाँ अव्ययित रही और वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह/दिन में व्यपगत/अभ्यर्पण कर दी गईं थी ***(परिशिष्ट–3.1)***। वेतन शीर्ष में 12 से 38 *प्रतिशत* के बीच निधि व्यपगत हुई थी। नमूना–जाँचित कार्यालयों में कार्यालय व्यय, बिजली, यात्रा भत्ता आदि के मदों में भी 100 *प्रतिशत* निधि व्यपगत/सरेंडर कर दी गई थी ***(परिशिष्ट–3.2)***। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी उद्घाटित हुआ कि वित्त विभाग ने अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात सरकारी प्रेस (गुलजारबाग, पटना और गया), डी.पी.एफ.ओ., डी.टी.ओ., वित्त लेखापरीक्षा कार्यालय आदि को यात्रा भत्ते, वाहनों के रखरखाव (हालांकि कोई वाहन उपलब्ध नहीं था), प्रकाशन और मुद्रण, मशीन और उपकरण आदि के शीर्षों के तहत निधि का आवंटन किया गया, हालाँकि पिछले पाँच वर्षों में संपूर्ण निधि व्यपगत/अभ्यर्पण कर दी गई थी।

---

[21] *जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी*

[22] *विभागाध्यक्ष या अन्य विभागीय पदाधिकारी, जिन्हे संबंधित विभाग के व्यय, राजस्व जमा और बजट प्राक्कलन के समर्पण की नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गयी थी।*

[23] *बिहार बजट हस्तक के परिभाषा संख्या 25 के अनुसार निकासी एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) का आशय एक राजपत्रित अधिकारी से है जो सरकार की ओर से बिल/चेक की निकासी करने एवं भुगतान के लिए अधिकृत है।*

बिहार सरकार ने बजट तैयार करने और आवंटन, ई–बिलिंग, कोषागार प्रणाली, आदाता प्रबंधन आदि सहित सभी वित्तीय लेनदेन ऑनलाइन करने के लिए, 1 अप्रैल 2019 से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) को व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी.एफ.एम.एस.) के रूप में लागू किया है।

अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि वित्त विभाग ने राज्य में सी.एफ.एम. एस. शुरू करने से पहले किसी प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया था और रूपरेखा और मामूली सुधार की भी पहचान नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप समय–समय पर परियोजना की कई कमजोरियाँ दृष्टिगोचर हुईं। सी.एफ. एम.एस. के माध्यम से अधिक भुगतान, दोहरा भुगतान, डुप्लिकेट बिल निर्माण (लगभग 1,500 कर्मचारी) के मामले थे। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में इन कमियों के कारण, वित्त विभाग ने व्यावहारिक समाधान के लिए सी.एफ.एम.एस. संस्करण 2.0 को फिर से विकसित करने का निर्णय लिया था (सितंबर 2019)।

वित्त विभाग ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2021) कि वर्षों के दौरान दिए गए अनुपूरक अनुदानों की कोई आवश्यकता नहीं थी। साथ ही कहा कि भविष्य में, ऐसी गलतियां न हो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। तथापि, तथ्य रहा है कि डी.ए.ओ. ने पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर बजट अनुमान की तैयारी के लिए बिहार बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

3.2.3 निधि का विलंब से अभ्यर्पण/व्यपगत होना

बिहार बजट नियमावली के अनुसार, नियंत्रक अधिकारी द्वारा अनुमानित समस्त बचतों की सूचना पूर्ण विवरण एवं कारणों सहित वित्त विभाग को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। बचत के अभ्यर्पण चालू वर्ष की 15 फरवरी तक भी सूचित किया जाना था।

11 नमूना–जाँचित कार्यालयों[24] के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि बचतों का वित्त विभाग को अभ्यर्पित करने की समय सीमा का 2016–17 से 2020–21 से डी.डी. ओ. द्वारा पालन नहीं किया गया था। धनराशि को वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह/दिन में अभ्यर्पित किया गया था **(तालिका संख्या 3.1)**:

तालिका संख्या 3.1
वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह/दिन में अभ्यर्पित की गई राशि *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	आवंटन	व्यय	समर्पण/व्यपगत
2016-17	6.91	6.27	0.64
2017-18	10.03	9.57	0.46
2018-19	10.46	9.73	0.73
2019-20	6.34	5.80	0.54
2020-21	23.72	17.76	5.96
कुल	**57.46**	**49.13**	**8.33**

(स्रोतः नमूना–जाँचित कार्यालयों के अभिलेख)

वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में आवंटित निधि का अभ्यर्पण दर्शाता है कि विभाग निर्धारित वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में विफल रहा। नमूना जाँच किए गए डी.डी.ओ. की वस्तु स्थिति ***परिशिष्ट–3.1*** में दी गई है।

[24] *डी.पी.एफ.ओः मुजफ्फरपुर, गया, पटना, भागलपुर; डी.टी.ओः मुजफ्फरपुर, गया सहरसा, छपरा; सहायक निदेशक; अंकेक्षण निदेशालय बिहार, पटना; सहायक निदेशक; वित्त अंकेक्षण, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा और सरकारी प्रेस, गुलजारबाग, पटना*

3.2.4 विभिन्न बैंक खातों का संचालन

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 34 के अनुसार, सरकारी सेवक/आहरण अधिकारी द्वारा लोक/सरकारी खाते से आहरित राशि सरकार/वित्त विभाग की विशेष अनुमति को छोड़ कर बैंक खाते में जमा नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, वित्त विभाग ने 2000 से 2021 की अवधि के दौरान, आठ मौकों पर डी.डी.ओ. द्वारा वित्त विभाग की अनुमति के बिना बैंक खाते खोलने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि विभाग को डी.डी.ओ. द्वारा संचालित एवं बंद बैंक खातों की संख्या के बारे में पता नहीं था। वर्ष 2017 में, (i) बैंक खातों की संख्या की समीक्षा करने और दिसंबर 2017 तक सभी गैर–परिचालन बैंक खातों को बंद करने और (ii) अप्रयुक्त धन को राज्य की समेकित निधि में जमा करने के निर्देश जारी किए गए थे। उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर, बैंक खातों को बंद करने की समय–सीमा (छोटे भुगतानों के लिए एक को छोड़कर) को जून 2020 तक बढ़ा दी गयी थी इसका मार्च 2021 तक भी अनुपालन नहीं किया गया था। नमूना–जाँचित कार्यालयों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि जिला लेखा अधिकारी एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग बैंक खातों को बंद करने एवं राज्य की संचित निधि में राशि जमा करने के निर्धारित समय–सीमा का पालन सुनिश्चित नहीं कर सके।

नमूना–जाँचित बी.डी.ओ. के अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि रोकड़ बही में दिखाए गए कुल 98 परिचालित बैंक खातों में से, तीन बी.डी.ओ. द्वारा 25 बैंक खातों में तीन वर्षों से अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं था लेकिन ₹1.12 करोड़ राशि शेष थी (***परिशिष्ट–3.3***)। शेष 73 बैंक खातों में, पाँच बी.डी.ओ. द्वारा 12 निजी प्रक्षेत्र के बैंकों में संचालित किए जा रहे थे जिनमें ₹2.67 करोड़ शेष थी।

लेखापरीक्षा ने आगे निम्नलिखित का अवलोकन किया:

- 29 जिला स्तरीय कार्यालयों[25]/डी.डी.ओ. की नमूना–जाँच में, सात बी.डी.ओ. समाज कल्याण *योजनाओं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार, स्वतंत्रता सेनानी योजना* आदि से संबंधित नौ से 28 बैंक खातों का संचालन कर रहे थे। मार्च 2021 तक, नौ डी.डी.ओ.[26] के पास कोई भी आधिकारिक बैंक खाता नहीं था और वे आकस्मिक भुगतानों के लिए, कोषागार से अधीनस्थ अधिकारी के व्यक्तिगत खातों में निधि निकाल रहे थे।

  डी.पी.एफ.ओ., मुजफ्फरपुर ने कहा कि वित्त विभाग से अनुमति के अभाव में आधिकारिक बैंक खाता नहीं खोला जा सका। सरकारी निधि को अधिकारियों के व्यक्तिगत खातों में रखने के प्रचलन से धोखाधड़ी/गबन की संभावना हो सकती है।

- यह देखा गया कि सभी सात नमूना–जाँचित बी.डी.ओ. ने मार्च 2021 तक कई बैंक खातों (नौ से 28) को संचालित किया था। सभी 98 बैंक खाते वित्त विभाग की अनुमति के बिना संचालन में थे। ₹52.37 करोड संचित रोकड़ बही अंतशेष (मार्च 2021) के विरुद्ध, बैंकों में केवल ₹20.67 करोड़ (39 *प्रतिशत*) (***चार्ट 3.1***) शेष थे।

---

[25] *डी.पी.एफ.ओ. (7), सहायक निदेशक, वित्त लेखापरीक्षा (7), जिला कोषागार पदाधिकारी (6) और सरकार प्रेस (2)*

[26] *डी.पी.एफ.ओ. (4), सहायक निदेशक, वित्त लेखापरीक्षा (2) और जिला कोषागार पदाधिकारी (3)*

चार्ट संख्या 3.1

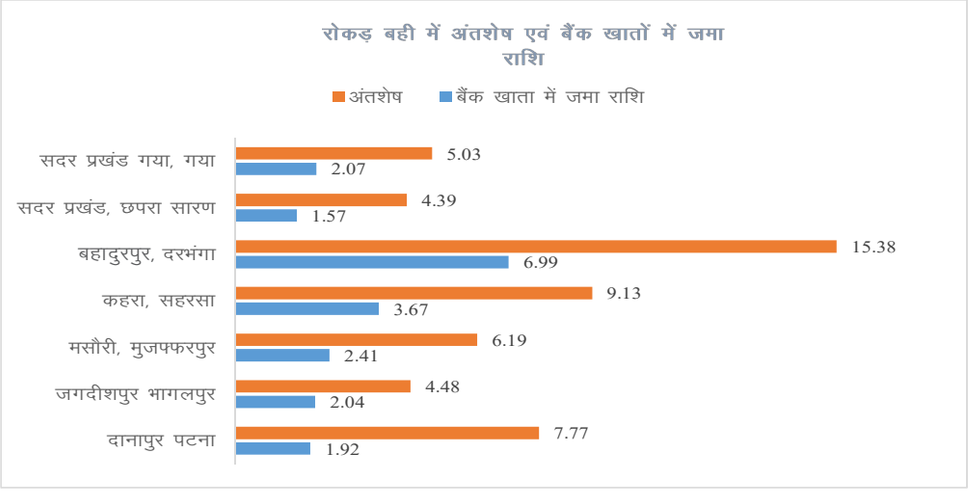

(स्रोतः नमूना–जाँचित बी.डी.ओ. के अभिलेख)

उपरोक्त चार्ट में, रोकड़ बही के अंतशेष और बैंक शेष के बीच का अंतर मुख्य रूप से विभिन्न अधिकारियों के साथ असमायोजित अग्रिमों और प्राधिकार के बिना योजना निधियों के विचलन के कारण था। ये राशियाँ उन योजनाओं के विरुद्ध रखी गई थी जो या तो बंद कर दी गई थीं या डी.बी.टी. जैसी अन्य पद्धति से संचालित की गई। परिणामस्वरूप, विचलन की गई राशि से संबंधित अभिश्रव असमायोजित रहे। नमूना–जाँचित सभी बी. डी.ओ. में बैंक समाशोधन गैर–विद्यमान था। रोकड़ बही बैंक शेष पर आधारित नहीं थी। इन परिस्थितियों में, दुर्विनियोजन की संभावना के अलावा खातों ने सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाया। हालांकि, किसी भी संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

जवाब में विभाग ने कहा कि बैंक खाते खोलने/समीक्षा करने का निर्णय प्रशासनिक विभाग के नियंत्रण में है। संबंधित वित्तीय प्रावधानों (जैसा कि बी.टी.सी., 2011 के नियम 34,176 और 177 में प्रावधानित एवं विभाग द्वारा जारी सावधिक निर्देश) का प्रशासनिक विभाग द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन प्रावधानों का इन कार्यालयों में अत्यंत उपेक्षा की गई थी।

3.2.5 निधि का अवरुद्ध होना

वित्त विभाग ने सहायक खातों/रोकड़ बही को समाप्ति का निर्देश दिया (नवंबर 2017) जिनका परिचालन या तो बंद हो गया था या निकट भविष्य में संचालन की कोई संभावना नहीं थी।

अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि सात नमूना–जाँचित बी.डी.ओ. में से, छः ने समाज कल्याण योजनाओं से संबंधित 203 सहायक रोकड़ बही संधारित रखा, जो या तो बंद कर दी गईं थी या डी.बी.टी. के तहत संचालित की गई थी। 2010 से अप्रयुक्त ₹18.21 करोड़ की धनराशि को भी राज्य की संचित निधि में प्रेषित नहीं किया गया था।

वित्त विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2021) कि बी.डी.ओ. द्वारा वित्तीय नियमों के गैर–अनुपालन मामलों को ग्रामीण विकास विभाग (आर.डी.डी.) स्तर पर उठाया गया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि यह जिला स्तर पर वित्तीय प्रबंधन के प्रभावी अनुपालन की आवश्यकता को दर्शाता है।

3.2.6 योजना निधि का विचलन

बी.एफ.आर. के नियम 11 में प्रावधान है कि एक नियंत्रण अधिकारी को अवश्य देखना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए धन निधि प्रदान किया गया था उस पर व्यय किया गया है। वित्त विभाग ने संचित राशि को बैंक खातों के साथ–साथ कोषागार में जमा करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किया था।

सात नमूना–जाँचित बी.डी.ओ. के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि योजना निधियों से ₹15.26 करोड़ का विचलन था जिसके व्यय अभिश्रव को समायोजित किया जाना शेष था जिसके लिए सक्षम प्राधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

2016–17 से 2020–21 की अवधि के दौरान डी.डी.ओ. वार असमायोजित अभिश्रव की मात्रा में वृद्धि हुई जैसा नीचे **चार्ट संख्या 3.2** में दी गई है:–

चार्ट संख्या 3.2

नमूना–जाँचित बी.डी.ओ. में मार्च 2021 तक असमायोजित अभिश्रवों के रूप में निधियों के विचलन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

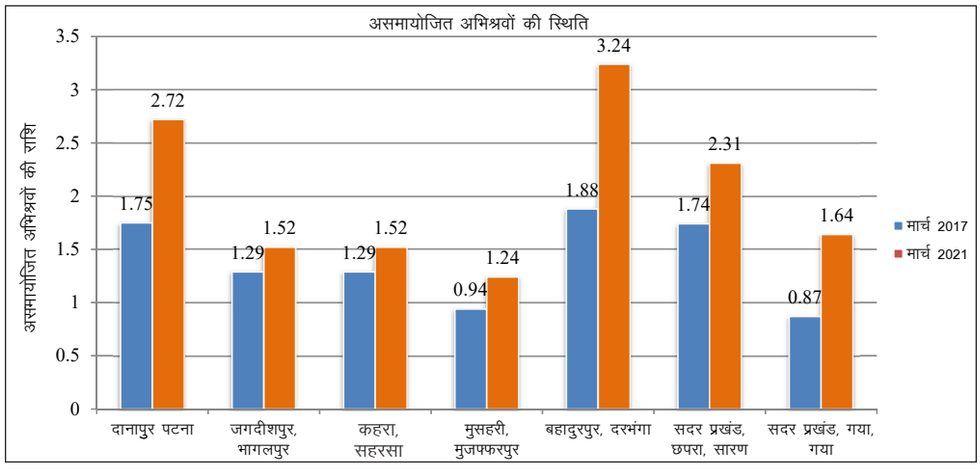

(स्रोतः नमूना–जाँचित बी.डी.ओ. के अभिलेख)

यह आगे भी देखा गया कि बी.डी.ओ., बहादुरपुर (दरभंगा) में मार्च 2015–16 से पहले की अवधि से संबंधित ₹1.33 करोड़ की राशि के अभिश्रव गायब थे जिससे संभावित गबन हुआ।

वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों से सहमति व्यक्त की और कहा (दिसम्बर 2021) कि निधियों को केवल उन्हीं उद्देश्यों पर खर्च किया जाना चाहिए जिनके लिए उन्हें आवंटित किया गया था और बी.डी.ओ. द्वारा वित्तीय नियमों के गैर–अनुपालन के लिए उन मामलों को आर.डी.डी. के साथ उठाया गया था। हालांकि, तथ्य यह है कि न तो कभी कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई या कभी जिम्मेदारी तय की गई।

3.2.7 असमायोजित अग्रिम

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 318 में प्रावधान है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभागीय अग्रिमों को आहरण के बारह महीनों के भीतर समायोजित/वसूली किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों को डी.डी.ओ. के पास पड़े असमायोजित अग्रिमों की समीक्षा के लिए निर्देश जारी किए (मई 2020)। डी.ए.ओ. को कार्यालय प्रमुखों/डी.डी.ओ. द्वारा अग्रिम की राशि और उनके समायोजन की निगरानी करने की भी आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सात बी.डी.ओ. सहित 29 नमूना–जाँचित कार्यालयों में से, 11 कार्यालयों में 1993–94 से असमायोजित/अप्राप्त अग्रिमों के लंबित मामले थे **(तालिका संख्या 3.2)** :

तालिका संख्या 3.2

नमूना–जाँचित बी.डी.ओ. में मार्च 2021 तक असमायोजित/अप्राप्त अग्रिमों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम. संख्या	बी.डी.ओ. का नाम	रोकड़ बही के अनुसार असमायोजित अग्रिम	अग्रिम[27] रजिस्टर के अनुसार दिया गया अग्रिम			तब से लंबित
			अन्य विभागों के अधिकारी	निजी पक्ष/संस्थानों	खुद का अधिकारी/कर्मचारी	
1	जगदीशपुर, (भागलपुर)	76.00	32.00	10.16	38.08	1993-94 के बाद से
2	मुशहरी, (मुजफ्फरपुर)	43.00	19.32	2.14	23.40	2016 से पहले से
3	बहादुरपुर, (दरभंगा)	688.00	167.74	1.63	509.45	1993-94 के बाद से
4	सदर गया, (गया)	31.28	25.81	1.15	4.33	2015 के पूर्व से
5	सदर छपरा (सारण)	57.17	8.61	16.38	16.33	2013-14 के बाद से
6	कहरा, (सहरसा)	421.00	169.91	48.19	196.52	1996-97 के बाद से
7	दानापुर (पटना)	177.00	विवरण उपलब्ध नहीं है–			2016 के पूर्व से
	कुल	**1,493.45**	**423.39**	**79.65**	**781.65**	

(स्रोतः नमूना–जाँचित बी.डी.ओ. के अभिलेख)

मार्च 2021 तक वसूली/समायोजन के लिए लंबित ₹14.93 करोड़ का उपरोक्त अग्रिम ने नमूना–जाँचित बी.डी.ओ. के पास उपलब्ध अंतशेष का 28 *प्रतिशत* बना दिया। बी.डी.ओ. ने पंचायत सचिवों, कनीय अभियंताओं, मुखियाओं और यहाँ तक कि निजी पक्षों/फर्मों आदि को भी अग्रिम दिया था। हालाँकि, जिन व्यक्तियों को अग्रिम निर्गत थे, उनका विवरण अग्रिम पंजी में संधारित किया गया था। इसलिए, लगभग 30 वर्षों से लम्बित अग्रिम की वसूली की अल्प संभावना थी। कुछ मामलों को नीचे विशिष्ट रूप से दर्शाया गयाः

- बी.डी.ओ., दानापुर (पटना) ने ₹1.77 करोड़ के अग्रिमों का विवरण (नाम, तब से लंबित, राशि, उद्देश्य आदि) प्रस्तुत नहीं किया और ऐसे विवरणों के अभाव में अग्रिमों को समायोजित करने या वसूल करने की कोई संभावना नहीं थी। संबंधित अभिलेखों का अभाव भी संभावित दुर्विनियोजन का सूचक था।
- बी.डी.ओ., जगदीशपुर (भागलपुर) ने अधिकारियों को ₹33.17 लाख का अग्रिम दिया था जिसे समय–समय पर समायोजित नहीं किया गया था। इन सभी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु हो गई थी और इसलिए उनकी वसूली की कोई संभावना नहीं थी।
- बी.डी.ओ., बहादुरपुर (दरभंगा) के मामले में बिना रसीद के 137 लोगों को ₹32.90 लाख की राशि दी गई थी। इसके अलावा, ₹14.88 लाख की राशि बिना किसी सहायक अभिश्रवों के रोकड़ वही में समायोजित के रूप में दर्ज थी।

[27] डी.डी.ओ. के अग्रिम रजिस्टर में दिए गए विवरण अद्यतन नहीं किए गए थे और रोकड़ बही के अंत शेष से मेल नहीं खाते थे।

- बी.डी.ओ., छपरा (सारण) ने विभिन्न अधिकारियों को सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत लाभार्थियों को निधि के वितरण के लिए ₹19.98 करोड़ का अग्रिम दिया, जिसमें से ₹10.89 करोड़ की एक राशि का समायोजन बिना अभिश्रव के किया गया (जुलाई 2021)।
- बी.डी.ओ., कहरा (सहरसा) में कैश बुक के अनुसार ₹6.71 लाख के अग्रिम, अग्रिम पंजी (सितंबर 2021) से मेल नहीं खाया। अभिश्रवों की अनुपस्थिति के साथ–साथ अभिलेखों का अनुचित रखरखाव सरकारी धन के संभावित दुर्विनियोजन को दर्शाया।

वित्त विभाग ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2021) कि बी.डी.ओ. द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न करने के मुद्दे को आर.डी.डी. के साथ उठाया गया है और अग्रिमों के समायोजन के लिए समय–समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बिना सहायक अभिश्रव के अग्रिमों के भुगतान/समायोजन, निजी पार्टियों और अन्य को 30 से अधिक वर्षों के लिए असमायोजित अग्रिम आदि गबन/भ्रष्टाचार/धोखाधड़ी आदि के जोखिम से भरे हुए थे। एक स्वतंत्र जाँच की जानी चाहिए और संबंधित शामिल की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

पुनः, वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन शेष चार कार्यालयों[28] में, आपूर्तिकर्ताओं को मुद्रण कार्य के लिए दिए गए अग्रिम (₹47.87 लाख) और कर्मचारियों को दिए गए अस्थायी अग्रिम (₹0.57 लाख) 2006–07 से असमायोजित रहे।

3.2.8 अन्य महत्वपूर्ण अवलोकन

दो बी.डी.ओ.[29] के मामले में, अप्रैल 2015 से दिसंबर 2020 तक, ₹22.02 करोड़ मूल्य के 287 चेक जारी करने का उद्देश्य अभिलेख में नहीं था ***(परिशिष्ट–3.4)***। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि बी.डी.ओ., दानापुर के कार्यालय में, ₹0.55 लाख की राशि की निकासी नाजीर (कैशियर) द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी बैंक से की गई।

उत्तर में, वित्त विभाग ने बताया (दिसम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा अवलोकन ग्रामीण विकास विभाग एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय नियमों का पालन न करने से सम्बन्धित था।

वित्त विभाग का उत्तर बेपरवाह रवैया का एक प्रतिबिम्ब है।

3.3 सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी पेंशन योजना (सी.पी.एस.) खातों का अनियमित रखरखाव

3.3.1 जी.पी.एफ. खातों का गैर–रखरखाव

जी.पी.एफ. खातों के रखरखाव का कार्य राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार से ले लिया गया था। सरकार द्वारा जारी निर्देशों (दिसंबर 1985) के अनुसार, भविष्य निधि कार्यालयों के कामकाज का विवरण और प्रत्येक व्यक्तिगत ग्राहक के अभिलेख के रखरखाव की प्रणाली के साथ–साथ जी.पी.एफ. से संबंधित विभिन्न सरकारी विभागों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

- डी.डी.ओ. को कटौती अनुसूची के साथ वेतन बिल तैयार करने और भुगतान के लिए कोषागार में भेजना अपेक्षित था।

---

[28] *सरकारी प्रेस गुलजारबाग (₹42.18 लाख), सरकारी प्रेस गया (₹5.69 लाख), डी.टी.ओ. भागलपुर (₹0.26 लाख) और डी.टी.ओ गया (₹0.31 लाख)।*

[29] *दानापुर (पटना) और मुशहरी (मुजफ्फरपुर)।*

- कोषागार कार्यालय को क्रमशः अखिल भारतीय संवर्ग/राज्य संवर्ग तथा अन्य अधिकारियों के संबंध में भविष्य निधि निदेशालय (पी.एफ.डी.) एवं जिला भविष्य निधि कार्यालय (डी.पी.एफ.ओ.) को सरकारी अधिकारियों के वेतन बिल अनुसूची के साथ कोषागार अभिश्रव नंबर (टी.वी. नंबर) प्रदान करना अपेक्षित था।
- पी.एफ.डी. और डी.पी.एफ.ओ. को सरकारी आदेश (दिसंबर 1985) के अनुसार अभिदाताओं के जी.पी.एफ. के लिए जी.पी.एफ. अंशदान बहीखाता संधारित करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि सात नमूना–जाँचित जिलों में, सरकार द्वारा निर्धारित अभिलेखों के आधार पर अभिदाताओं की जी.पी.एफ. गणना नहीं की जा रही थी। सेवानिवृत्त अधिकारियों के जी.पी.एफ. विवरणी डी.डी.ओ. द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर तैयार किए गए थे, जो गलत विवरणों के जोखिम से भरा था। परिणामस्वरूप, 1986 से 2011–12 की अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा किए गए जी.पी.एफ. अंशदान की राशि उपलब्ध नहीं थी। मार्च 2012 में समेकित कोषागार प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (सी.टी.एम.आई.एस.) के संचालन के बाद ही थी कि कुछ विवरण उपलब्ध हुए। अभिलेखों के गैर–रखरखाव के कारण पी.एफ.डी. के पास उपलब्ध कुल 1,70,520 में से, 27,237 (16 *प्रतिशत*) जी.पी.एफ. ग्राहकों के खातों में कोई विवरण नहीं था और सी.टी.एम.आई. एस. में 1 अप्रैल 2012 को शून्य प्रारंभिक शेष राशि के साथ खोला गया था।

भविष्य निधि निदेशालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि शून्य शेष मामलों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निदेशक, भविष्य निधि, बिहार के अनुसार, शून्य शेष के 27,525 मामलों में से, 14,538 मामलों का समाधान किया गया है और 12,714 मामले हल करने हैं तो प्रक्रियाधीन हैं (जनवरी 2021)। आगे की अद्यतन स्थिति प्रतीक्षित है। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान शून्य शेष के मामले डी.पी.एफ.ओ. स्तर पर निरंतर पाए गए।

3.3.2 अंशदायी पेंशन योजना अभिदाताओं को लाभ से वंचित करना

अंशदायी पेंशन योजना (सी.पी.एस.) योजना, 2005 उन कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी जो राज्य सरकार की सेवाओं में सितंबर 2005 और मार्च 2010[30] के बीच सेवा में शामिल हुए थे। इस योजना में कर्मचारियों के वेतन से मूल वेतन के 10 *प्रतिशत* की कटौती की परिकल्पना की गई थी, जिसे फंड के प्रबंधन के लिए समान सरकारी योगदान के साथ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) को हस्तांतरित किया जाना था। ब्याज प्रचलित जी.पी.एफ. योजना के बराबर देय था। योजना के प्रत्येक लाभार्थी को कटौती, योगदान और उस पर देय ब्याज की रिकॉर्डिंग के लिए डी.पी.एफ.ओ. स्तर पर एक स्थायी पेंशन खाता संख्या (पी.पी.ए.एन.) आवंटित की जानी थी।

भविष्य निधि निदेशालय (पी.एफ.डी.), पटना में उपलब्ध अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 26,932 सी.पी.एस. अभिदाता 2005–06 से 2009–10 के दौरान सेवा में शामिल हुए थे। तथापि, एक अभिदाताओं द्वारा किया गया अंशदान और सरकार द्वारा समान अंशदान सहित उन्हें देय ब्याज का विवरण अभिलेखों के गैर–रखरखाव के कारण पी.एफ.डी. के पास नहीं था।

---

[30] *नई पेंशन योजना मार्च 2010 के बाद नई नियुक्तियों के लिए लागू की गई थी।*

तथापि, यह लेखा परीक्षा द्वारा महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार को वित्त विभाग और कोषागार द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया था। मार्च 2010 तक सी.पी.एस. योगदान के रूप में शीर्ष 8011 के तहत मार्च 2010 तक संचित सी.पी.एस. योगदानों के ₹70.17 करोड़ में से, ₹41.32 करोड़ को अभी तक हस्तांतरित किया जाना था। परिणामस्वरूप, अभिदाताओं को उनके अपने हिस्से की राशि, सरकारी अंशदान और उनके खिलाफ देय ब्याज के लाभ से वंचित कर दिया गया था। इस बारे में पी.एफ.डी. को बताए जाने पर, उनकी ओर से कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई।

3.4 आंतरिक लेखा परीक्षा

यद्यपि वित्त विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा 1953 से अस्तित्व में था, विभाग ने लेखापरीक्षा करने के लिए कोई कोड/मैनुअल, मार्गदर्शक सिद्धांत आदि विकसित/प्रकाशित नहीं किया। अपने उत्तर में (फरवरी 2021), लेखापरीक्षा निदेशालय ने कहा (फरवरी 2021) कि लेखापरीक्षा कोड, ऑडिट मैनुअल और दिशानिर्देश पहली बार तैयार किए जा रहे थे।

3.4.1 लेखापरीक्षा प्रबंधन

लेखापरीक्षा निदेशालय, (वित्त विभाग) ने लेखापरीक्षित इकाइयों की वास्तविक संख्या साथ ही साथ राज्य में लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की लेखापरीक्षा की स्थिति जानने के लिए किसी अभिलेख के संबंध में संधारण नहीं किया था। ऐसे मूल अभिलेखों के अभाव में, निदेशालय यह जानने की स्थिति में नहीं था कि किसी विशेष इकाई की लेखापरीक्षा के होने का पता लगाने की स्थिति में नहीं था।

राज्य में अप्रैल 2015 से मार्च 2021 के दौरान नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। जोखिम निर्धारण पर आधारित कोई लेखापरीक्षा योजना नहीं थी। हालांकि, विशेष लेखापरीक्षा केवल विशिष्ट विभाग/कार्यालय द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर की गई थी। जाँच में पाया गया हुआ कि उक्त अवधि के दौरान प्राप्त 498 मांगों में से, 261 अनुरोधों (52 *प्रतिशत*) का लेखापरीक्षा कार्य पूरा किया गया था, 14 को अधूरा छोड़ दिया गया था और 30 मामलों में, लेखापरीक्षा कार्य प्रगति पर था (मार्च 2021)। शेष 193 मांगों में से, 143 (29 *प्रतिशत*) अनुरोधों के लिए कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ था हालांकि लेखापरीक्षा कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई थी। 50 (10 *प्रतिशत*) अनुरोधों की योजनाओं को निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी था।

लेखापरीक्षा निदेशालय ने कहा कि लेखापरीक्षा कर्मियों की कमी तथा लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा अभिलेखों का गैर–प्रस्तुतीकरण लेखापरीक्षा कार्य के गैर–प्रारंभ/गैर–सम्पादन का मुख्य कारण था। तथ्य यह है कि वित्त विभाग की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रभावित हुई और परिणामस्वरूप वित्तीय मामलों में आंतरिक निगरानी के कार्य कमजोर हो गए।

3.5 कार्यबल की कमी

वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन नमूना–जाँच किए गए कार्यालयों अर्थात लेखापरीक्षा कार्यालय, डी.पी.एफ.ओ., डी.टी.ओ. और सरकारी प्रेस की कुल स्वीकृत संख्या तथा उनमें कार्यरत बल नीचे ***चार्ट 3.3*** में दर्शाए गए हैं:

चार्ट 3.3

स्वीकृत बल (एस.एस.) और मानव बल की उपलब्धता की स्थिति (एम.आई.पी.) मार्च 2021

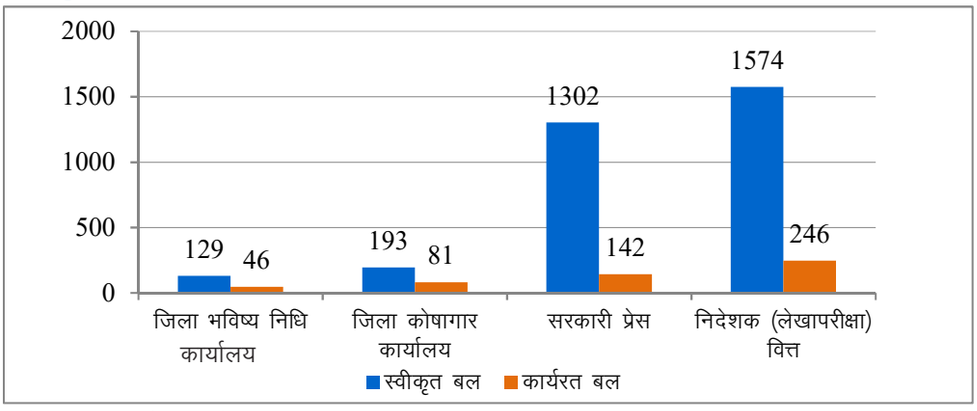

(स्रोतः विभाग के अभिलेख)

लेखापरीक्षा निदेशालय विंग में, 84 *प्रतिशत* पद रिक्त थे। लेखापरीक्षा कर्मियों की भारी कमी थी। श्रेणीवार स्वीकृत संख्या के साथ–साथ कार्यरत–बल को नीचे **तालिका संख्या–3.3** में दर्शाया गया है :

तालिका संख्या–3.3

मार्च 2021 तक लेखापरीक्षा निदेशालय, वित्त विभाग के कार्यालय की श्रेणीवार रिक्ति की स्थिति

पद का नाम	श्रेणी	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (*प्रतिशत*)
निदेशक, संयुक्त, निदेशक, उपनिदेशक, अवर सचिव	प्रशासनिक अधिकारी	18	0	18 (100)
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / लेखापरीक्षा अधिकारी	लेखापरीक्षा कार्मिक	268	23	245 (91)
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी		275	0	275 (100)
वरिष्ठ लेखापरीक्षक / लेखा परीक्षक		876	192	684 (78)
अनुभाग अधिकारी, सहायक, यूडीसी आदि	अन्य आधिकारिक कर्मचारी	137	31	106 (77)
कुल		**1,574**	**246**	**1,328 (84)**

(स्रोतः निदेशक, वित्त (लेखापरीक्षा) कार्यालय के अभिलेख)

लेखापरीक्षा ने देखा कि वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (व.ले.प.अ.), लेखापरीक्षा अधिकारी (ले.प.अ.) और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (स.ले.प.अ.) के पद केवल 2018–19 के दौरान स्वीकृत किए गए थे। 1,419 लेखापरीक्षा कर्मियों[31] की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध केवल 215 (15 *प्रतिशत*) कार्यरत थे।

उत्तर में, सहायक निदेशक, लेखापरीक्षा निदेशालय, पटना ने कहा (फरवरी 2021) कि 138 स.ले.प.अ. की नियुक्ति के लिए मांगपत्र बी.पी.एस.सी को भेजी गई थी। अधीक्षक, गुलजारबाग मुद्रणालय, पटना ने स्वीकार किया (फरवरी 2021) कि कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के पास 1996 से लंबित थी जबकि राजकीय मुद्रणालय, गया ने कहा कि वित्त विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रहा था (अक्टूबर 2021)।

[31] लेखापरीक्षक, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, लेखापरीक्षा अधिकारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

3.6 निष्कर्ष

वित्त विभाग ने जिला स्तरीय डी.डी.ओ. द्वारा पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिला लेखा अधिकारी के पद के उचित/प्रभावी काम काज को सुनिश्चित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय अनुशासन का पूर्ण अभाव था। वर्ष 2019–20 तक बिहार के एस.एफ.ए.आर. (एस.एफ.ए.आर.) में बजटीय और वित्तीय मामलों में विभाग के घाटे के प्रबंधन को बार–बार उजागर करने के बावजूद, निधि के समर्पण/व्यपगत, कई बैंक खातों के अंधाधुंध संचालन, निधि के विचलन, लगातार अनुचित अग्रिम आदि के मामले जिला/प्रखण्ड स्तर के कार्यालयों में बने थे। सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी पेंशन योजना खातों के रख–रखाव में अनियमितताएं थीं जिनमें गबन और धोखाधड़ी की संभावना थी। वित्त विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था के अपर्याप्त प्रबंधन ने वित्तीय नियमों/विनियमों/अनुदेशों के अनुपालन की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के अपने इच्छित उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। जिला भविष्य निधि कार्यालयों, जिला कोषागार कार्यालयों और आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, लेखापरीक्षा निदेशालय में मानवबल की भारी कमी थी जिसने अंततः आंतरिक नियंत्रण तंत्र को प्रभावित किया जिससे सरकारी निधि की दुर्विनियोजन, गबन, धोखाधड़ी आदि की संभावना पैदा होती है। इन सभी ने वित्त विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को प्रभावित किया जहाँ लेखापरीक्षा केवल आग्रह के आधार पर थी।